शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 14/2018/ए-1- 946 /दस-2018-10(25)/2007

प्रेषक,

संजीव मित्तल ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
कोषागार निदेशालय, उ0प्र0
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 05, सितम्बर , 2018

विषयः- उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय के कोषागार तथा उ0प्र0 विधान परिषद् सचिवालय के प्रस्तावित कोषागार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ई-कुबेर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पंत्राक 1653/एच0क्यू0 1(180)/2011/को0नि0/प्रावि0 दिनांक 27 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-11/2018/ए-1-683/दस-2018-10(25)/2007 दिनांक 07 जून, 2018 व शासनादेश संख्या-12/2018/ए-1-713/दस-2018-10(25)/2007 दिनांक 18 जून, 2018 द्वारा पूर्व में प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों सहित कुल 21 कोषागारों में ई-कुबेर की व्यवस्था लागू की गयी है। शेष कोषागारों में इस व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

3- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कोषागारों की भॉति उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय के कोषागार व उ0प्र0 विधान परिषद् सचिवालय के प्रस्तावित कोषागार में भी ई-कुबेर की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है

अत: तदनुसार आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 14 /2018/ए-1-946 (1)/दस-2018-10(25)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या- 338/वि0प0, दिनांक 06-07-2018 के क्रम में प्रेषित ।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय उ0प्र0, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in